रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 25, 1989/भाद्र 3, 1911
No. 162] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 25, 1989/BHADRA 3, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं. 157-आई.टी.सी. (पी.एन.))/88-91

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1989

विषय :—प्रक्रिया पुस्तक, 1988-91

फा. सं. 12/5/88-ईपीसी :—वाणिज्य मंत्रालय की 30 मार्च, 1988 की सार्वजनिक सूचना सं. 2-आई.टी.सी. (पी.एन.)/88-91 के अन्तर्गत प्रकाशित प्रक्रिया पुस्तक, 1988-91 की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. उक्त प्रक्रिया पुस्तक में निम्नलिखित संशोधन नीचे उल्लिखित उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :—

क्रम सं.	प्रक्रिया पुस्तक, 1988-91 की पृष्ठ सं.	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1	56	अध्याय-16 अभिगृहीत निर्यात पैरा 326	मौजूदा उप-पैरा 326 (1), (2) और (3) को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाएगा :— "326 (1) एक पंजीकृत निर्यातक (जौहरी) जिसके पास भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया "प्राधिकृत मुद्रा विनियम" लाइसेंस है, विदेशी पर्यटकों को रत्न और अभूषणों की मदों की बिक्री के मद्दे उन मामलों में प्रति-पूर्ति लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे जिनमें प्राधिकृत मुद्रा विनिमय लाइसेंस के तहत अनुमेय तरीके से अदायगी प्राप्त की गई हो । यदि किसी मामले में चैक भारत से बाहर किसी बैंक में अदा किया जाना

1	2	3	4
			है तो विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत डीलर से इस सम्बन्ध में एक प्रमाण-पत्र लेना होगा कि चैक की राशि की वसूली कर ली गई है और उसे प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अन्य सभी मामलों में इस आशय का एक प्रमाण-पत्र कि चैक/राशि को भारतीय विनिमय नियंत्रण को सौंप दिया गया है, पर्याप्त रहेगा।
			(2) पंजीकृत निर्यातक (जोहरी) जिसके पास "मुद्रा विनियम" लाइसेंस नहीं है परन्तु वे इस स्कीम के अन्तर्गत लाभों का दावा करने के इच्छुक है तो वे ऐसे लाइसेंस के लिए निर्धारित फार्म में भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन कर सकते हैं। मुद्रण विनिमय लाइसेंस की स्वीकृति को भारतीय रिजर्व बैक के विनियमों द्वारा शासित किया जाएगा।
			(3) वाणिज्य मंत्रालय और/या मुख्य नियंत्रक आयात-

1	2	3	4
			निर्यात यदि न्यायोचित समझेंगे तो वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए लाइसेंस को रद्द करने के सम्बन्ध में सिफारिश कर सकते हैं ।

3. उपर्युक्त संशोधन लोकहित में किए जाते हैं ।

तेजेन्द्र खन्ना, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(Import Trade Control)

PUBLIC NOTICE NO. 157-ITC(PN)/88-91

New Delhi, the 25th August, 1989

Subject : Hand Book of Procedures, 1988-91.

F.No. 12/5/88-EPC : —Attention is invited to the Hand Book of Procedures, 1988-91, published under the Ministry of Commerce Public Notice No.2-ITC(PN)/88-91 dated the 30th March, 1988 as amended.

2. The following amendments shall be made in the said Hand Book at appropriate places indicated below : —

Sl. No.	Page No. of Handbook of Procedures, 1988-91.	Reference	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	56	Chapter-XVI Deemed Exports Para 326	The existing Sub-paras 326(1), (2) and (3) shall be amended as under :—

"326(1) A Registered Exporter (Jeweller) who possesses an "Authorised Money Changers" licence issued by the Reserve Bank of India will be eligible to apply for grant of replenishment licence against sale of gem and jewellery items made to foreign tourists where payments are received in the manner permissible under the authorised money changers' licence. In the case of cheques drawn on bank outside India, a certificate from the authorised dealer in foreign exchange to the effect that proceeds of the cheque have been realised should be produced. In all other cases, a certificate that the cheques/ amounts have been surrendered to the Indian Exchange Control would be sufficient.

(2) The Registered Exporter (Jeweller) desiring to claim benefits under this scheme, who does not possess "money changers" licence, may apply for such a licence to the Reserve Bank of India in the prescribed form. The grant of the money-changer's licence will be governed by the RBI's regulations.

(3) Ministry of Commerce and/or Chief Controller of Imports and Exports may recommend cancellation of the licence issued by the Reserve Bank of India, if deemed justified."

3. The above amendments have been made in public interest.

TEJENDRA KHANNA, Chief Controller of Imports & Exports

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054 1989